राजस्थान राज्य प[illegible] निगम, जयपुर ।

क्रमांक/एफ.[illegible]/[illegible]/कार्मिक/अपील/93/1366 दिनांक:-22.12.93

परिपत्र

विषय:- विभागीय प्रतिनिधि के कर्तव्य ।

विभागीय जाँच हेतु नियुक्त विभागीय प्रतिनिधियों के कर्तव्य का निम्न प्रकार निर्धारण किया जाता है :-

(1) विभागीय प्रतिनिधि नियुक्ति आदेश प्राप्त होते ही आरोप-पत्र का अध्ययन कर सम्बन्धित शाखा/कार्यालय से दस्तावेजात प्राप्त करेंगे ।

(2) आरोपों से सम्बन्धित प्राप्त दस्तावेज रिकार्ड का भली-भाँति अध्ययन कर निश्चय करेगा कि जाँच के हित में किन-2 दस्तावेजात एवं गवाहान को जाँच में प्रस्तुत कराना है । ऐसा निश्चय करने हेतु यदि वे आवश्यक समझें तो सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से विचार-विमर्श भी करेगा ।

(3) तत्पश्चात् जाँच अधिकारी को साक्ष्यों तथा दस्तावेजात की सूची प्रस्तुत करेगा ।

(4) जाँच अधिकारियों से आरोपित द्वारा चाहे गये दस्तावेजात की जाँच अधिकारी की अभिशंसा पर, प्राप्त कर जाँच अधिकारी के मार्फत आरोपित को उपलब्ध करायेगा ।

(5) आरोपित द्वारा चाहे गये दस्तावेजात यदि लोकहित एवं राज्य सुरक्षा [illegible] दस्तावेज होने पर जाँच अधिकारी को सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किये जाने पर जाँच अधिकारी सूचना आरोपित को देगा ।

(6) जाँच अधिकारी के समक्ष साक्षियों के बयानों के साथ-2 दस्तावेजात को प्रदर्श अ-ब-स लिखाकर संख्या अंकित करायेगा ।

(7) आरोपित तथा आरोपित के गवाह से निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये जिरह करेगा :-

(अ) साक्षी के कथन की यथार्थता अर्थात् सत्यता की जाँच करेगा ।

(ब) साक्षी की विश्वसनीयता का पता लगाना उसकी स्मृति कैसी है इसका पक्षकार से क्या सम्बन्ध है, वह पक्षपातपूर्ण है या नहीं ?

(स) साक्षी की साख या पेशे को सुनिश्चित करना ।

(द) साक्षी के कथन की शक्ति को नष्ट या कमजोर करना, जहाँ तक कि वह आरोपों के तथ्यों से सम्बन्धित है । इन तथ्यों से सम्बन्धित प्रश्न पूछकर ही किया जाना चाहिए ।

(य) साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछना जिससे वह निगम पक्ष के तथ्यों को प्रकट कर दे, जिन्हें वह छिपा रहा है ।

....2/

(ङ) आरोपित के कार्यों से रहने के प्रभाव द्वारा [illegible]
करना ।

(छ) विविध/नीतिगत प्रश्न करना ।

आज्ञा से,
(आर.के. मिश्रा) उपसचिव

क्रमांक:-[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/93/366 दिनांक:- 22.12.93

परिपत्र:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(1) [illegible], राजस्थान राज्य एवं परीक्षा नियंत्रण, बुलानाला, [illegible]
(2) [illegible] (आर.के. मिश्रा) [illegible], राजस्थान राज्य एवं परीक्षण नियंत्रण, [illegible]
(3) [illegible], राजस्थान परीक्षण नियंत्रण, ...
(4) [illegible], राजस्थान परीक्षण नियंत्रण, ...
(5) [illegible], राजस्थान परीक्षण नियंत्रण, ...
(6) [illegible], राजस्थान परीक्षण नियंत्रण, ...
(7) [illegible] ।

आज्ञा से,
(आर.के. मिश्रा) उपसचिव